

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-226

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की पारेषण प्रणाली (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर)

*226. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आंध्र प्रदेश में, विशेषकर राज्य की प्रस्तावित नई राजधानी, अमरावती में मुख्य विद्युत केन्द्र की स्थापना करके नवीकरणीय ऊर्जा पारेषण प्रणाली (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर) पर कार्य कर रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रस्तावित राजधानी की भविष्य में सहायता के लिए इस परियोजना के अंतर्गत एलुरु, चिलाकालुरीपेट, गुडीवाडा, तुल्लुरु/अइनावोलू में 400 के.वी. उच्च वोल्टेज सर्किट के उप-केन्द्र बनाये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या अमरावती की मांग को पूरा करने के लिए 3,766 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"आंध्र प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की पारेषण प्रणाली (ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर)" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी नहीं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) अमरावती, आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के संबंध में ऐसी किसी योजना पर काम नहीं कर रहा है, तथापि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने आंध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (एपी ट्रांस्को) से परामर्श करके आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा/अमरावती में प्रस्तावित राजधानी में तथा उसके आस-पास विद्युत भार की मांग को पूरा करने के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली सहित इल्लुरु, चिलकालुरिपेट, गुडीवाड़ा और इनावोलू में 400/220 केवी की योजना बनाई है।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एपी ट्रांस्को ने प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश के राजधानी शहर अमरावती के आस-पास 400 केवी रिंग के तहत 400 केवी स्तर पर नीचे दिए अनुसार 3830 एमवीए क्षमता के पारेषण नेटवर्क की योजना बनाई है :

इल्लुरु 400/220 केवी उपकेंद्र	: 630 एमवीए
गुडीवाड़ा 400/220/132 केवी उपकेंद्र	: 1200 एमवीए
चिलकालुरिपेट 400/220 केवी उपकेंद्र	: 1000 एमवीए
तुल्लुरु/इनावोलू 400/220 केवी उपकेंद्र	: 1000 एमवीए

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-231

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

सभी घरों के लिए चौबीसों घंटे बिजली

***231. श्री देरेक ओब्राईन:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2013 से राज्य-वार और वर्ष-वार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन घरों की संख्या और समानुपात क्या है जिनमें सक्रिय बिजली कनेक्शन हैं;

(ख) इन घरों में ऐसे घरों की संख्या और समानुपात क्या है जिनमें 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी घरों को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"सभी घरों के लिए चौबीसों घंटे बिजली" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 231 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 16,78,26,730 घरों में से 9,28,08,038 (55.30%) घर प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग कर रहे थे। इसी प्रकार, देश के शहरी क्षेत्रों में कुल 7,88,65,937 घरों में से 7,30,89,256 (92.67%) घर प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत का प्रयोग कर रहे थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घरों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति कराना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का दायित्व है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने और निधियाँ प्रदान कर अवसंरचना में राज्य सरकार के प्रयासों की सहायता करती है। हाल ही में भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 2022 तक 24X7 सभी के लिए विद्युत उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों के साथ संयुक्त पहल शुरू की है।

"सभी घरों के लिए चौबीसों घंटे बिजली" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रकाश के लिए मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग कर रहे घरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण घर			शहरी घर		
	राज्य	घरों की कुल संख्या	विद्युत का उपयोग करने वाले घरों की सं.	विद्युत का उपयोग करने वाले घरों का %	घरों की कुल संख्या	विद्युत का उपयोग करने वाले घरों की सं.	विद्युत का उपयोग करने वाले घरों का %
1	आंध्र प्रदेश	14,246,309	12,782,453	89.72%	6,778,225	6,594,769	97.29%
2	अरुणाचल प्रदेश	195,723	108,550	55.46%	65,891	63,271	96.02%
3	असम	5,374,553	1,524,221	28.36%	992,742	834,679	84.08%
4	बिहार	16,926,958	1,754,673	10.37%	2,013,671	1,343,762	66.73%
5	छत्तीसगढ़	4,384,112	3,070,879	70.05%	1,238,738	1,161,062	93.73%
6	गोवा	124,674	119,208	95.62%	198,139	193,553	97.69%
7	गुजरात	6,765,403	5,749,271	84.98%	5,416,315	5,263,943	97.19%
8	हरियाणा	2,966,053	2,585,338	87.16%	1,751,901	1,684,959	96.18%
9	हिमाचल प्रदेश	1,310,538	1,265,897	96.59%	166,043	162,886	98.10%
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,497,920	1,208,527	80.68%	517,168	507,030	98.04%
11	झारखण्ड	4,685,965	1,514,050	32.31%	1,495,642	1,315,817	87.98%
12	कर्नाटक	7,864,196	6,819,812	86.72%	5,315,715	5,125,655	96.42%
13	केरल	4,095,674	3,772,137	92.10%	3,620,696	3,512,569	97.01%
14	मध्य प्रदेश	11,122,365	6,479,144	58.25%	3,845,232	3,565,500	92.73%
15	महाराष्ट्र	13,016,652	9,605,299	73.79%	10,813,928	10,398,865	96.16%
16	मणिपुर	335,752	205,444	61.19%	171,400	141,191	82.38%
17	मेघालय	422,197	217,739	51.57%	116,102	110,219	94.93%
18	मिजोरम	104,874	72,138	68.79%	116,203	114,017	98.12%
19	नागालैंड	284,911	214,319	75.22%	115,054	112,086	97.42%
20	ओडिशा	8,144,012	2,895,252	35.55%	1,517,073	1,260,634	83.10%
21	पंजाब	3,315,632	3,166,394	95.50%	2,094,067	2,059,399	98.34%
22	राजस्थान	9,490,363	5,528,360	58.25%	3,090,940	2,901,680	93.88%
23	सिक्किम	92,370	83,277	90.16%	35,761	35,301	98.71%
24	तमिलनाडु	9,563,899	8,683,426	90.79%	8,929,104	8,581,633	96.11%
25	त्रिपुरा	607,779	361,573	59.49%	235,002	215,214	91.58%
26	उत्तर प्रदेश	25,475,071	6,054,978	23.77%	7,449,195	6,065,253	81.42%
27	उत्तरांचल	1,404,845	1,166,756	83.05%	592,223	571,419	96.49%
28	पश्चिम बंगाल	13,717,186	5,529,496	40.31%	6,350,113	5,405,627	85.13%
	कुल (राज्य)	167,535,986	92,538,611	55.24%	75,042,283	69,301,993	92.35%

	संघ राज्य क्षेत्र						
1	चंडीगढ़	6,785	6,603	97.32%	228,276	224,601	98.39%
2	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	79,115	77,366	97.79%	3,261,423	3,233,443	99.14%
3	दमन एवं दीव	12,750	12,532	98.29%	47,631	47,292	99.29%
4	दादरा एवं नागर हवेली	35,408	32,452	91.65%	37,655	37,106	98.54%
5	लक्षद्वीप	2,523	2,517	99.76%	8,180	8,152	99.66%
6	पुडुच्चेरी	95,133	91,105	95.77%	206,143	203,100	98.52%
7	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	59,030	46,852	79.37%	34,346	33,569	97.74%
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	290,744	269,427	92.67%	3,823,654	3,787,263	99.05%
	सकल योग (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	167,826,730	92,808,038	55.30%	78,865,937	73,089,256	92.68%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-236

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

24/7 बिजली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहमति ज्ञापन

*236. श्री बी.के. हरिप्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने अपने "24/7 बिजली लक्ष्य" को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ किसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें वित्तीय बाध्यताएं क्या-क्या हैं और इसे दूर करने के उपाय क्या-क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"24/7 बिजली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहमति ज्ञापन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 236 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : "सभी के लिए 24X7 विद्युत" (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने हेतु भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से पहल की है। 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में से, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दस्तावेजों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं, जैसा कि अनुबंध में उल्लेख किया गया है। 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम बंगाल, मणिपुर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, त्रिपुरा और चण्डीगढ़ के लिए भी "सभी के लिए 24X7 विद्युत" संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति प्राप्त हो गई है। इन दस्तावेजों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निधियों की आवश्यकता का ब्यौरा निहित है।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। अतः निधियों की व्यवस्था राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने संसाधनों, वित्तीय संस्थाओं अथवा बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋणों और भारत सरकार की योजनाओं के जरिए भी की जाएगी। तथापि, भारत सरकार, विभिन्न योजनाओं जैसे- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के जरिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

"24X7 बिजली का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहमति ज्ञापन" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 236 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जिन्होंने सभी के लिए 24X7 विद्युत उपलब्ध कराने हेतु सहमति दे दी है और उनके राज्य विशिष्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:

क्रम सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश
2.	राजस्थान
3.	उत्तराखंड
4.	गोवा
5.	मेघालय
6.	झारखण्ड
7.	असम
8.	छत्तीसगढ़
9.	बिहार
10.	तेलंगाना
11.	हरियाणा
12.	पंजाब
13.	सिक्किम
14.	महाराष्ट्र
15.	गुजरात
16.	ओडिशा
17.	कर्नाटक
18.	केरल
19.	मध्य प्रदेश
20.	हिमाचल प्रदेश
21.	नागालैण्ड
22.	लक्ष्यदीप
23.	अरुणाचल प्रदेश
24.	जम्मू एवं कश्मीर
25.	दादरा व नगर हवेली
26.	दमन व दीव
27.	मिजोरम
28.	दिल्ली

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2377

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नई परियोजनाएं

2377. श्री अनुभव मोहंती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मई, 2014 में सत्ता में आने के पश्चात् ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नई परियोजनाएं शुरू की हैं अथवा वह पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा अपनी पहल से शुरू की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई उन ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्तमान सरकार द्वारा या तो बंद कर दिया गया है अथवा छोड़ दिया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को सुगम बनाते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, वितरण ट्रांसफार्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं संवर्धन के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं को भी आरई घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में समाहित किया गया है।

देश में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए 42392.47 करोड़ रु. की लागत से 4497 नई परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है

(ग) : उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2378

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

मैथॉन पाँवर लिमिटेड द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार

2378. श्री संजीव कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैथॉन पाँवर लिमिटेड की स्थापना करने के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई थी;

(ख) कुल कितने लोगों से भूमि अधिग्रहीत की गई;

(ग) क्या उन लोगों को रोजगार प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है जिनसे ये जमीन अधिग्रहीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वास्तव में ऐसे कितने लोगों को रोजगार दिया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : मैथॉन पाँवर लिमिटेड की स्थापना करने के लिए लगभग 1115 एकड़ भूमि का कुल क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है, जिसमें से लगभग 565 एकड़ निजी भूमि है।

(ख) : भूमि के अधिग्रहण से कुल 1585 भू-स्वामी प्रभावित हुए थे जिनमें से लगभग 275 भू-स्वामियों को एक मुश्त मुआवजे के माध्यम से मुआवजा दिया गया है, लगभग 820 भू-स्वामियों को संविदाकारों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं तथा शेष भू-स्वामियों को 5 लाख रूपए के एक-मुश्त मुआवजे की पेशकश की गई है।

(ग) : उपलब्धता और पात्रता के आधार पर ही, संविदाकारों के माध्यम से रोजगार के अवसर पर सहमति हुई थी।

(घ) : लगभग 820 भू-स्वामियों को संविदाकारों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2379

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

बी.एच.ई.एल. द्वारा विद्युत परियोजनाएं

2379. श्री तपन कुमार सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) द्वारा निष्पादन हेतु शुरू की जा रही विद्युत परियोजना आदेशों के साथ-साथ मौजूदा विद्युत संयंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण का गत तीन वर्ष का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बी.एच.ई.एल. द्वारा अब तक निष्पादित/निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में कोई विलंब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : गत तीन वर्षों में वर्तमान विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) सहित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा निष्पादन हेतु शुरू की गई नई विद्युत परियोजनाओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : कुछ मामलों में, भेल द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब हुआ है। अन्य बातों के साथ-साथ विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- (i) धीमे सिविल कार्य, शेष संयंत्र उपकरण/प्रणालियों में विलंब।
- (ii) संविदागत मामले।
- (iii) कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
- (iv) अन्य ग्राहक/ परियोजना विकासकर्ता संबंधी मामले।
- (v) भेल को इन यूनिटों को सौंपने में विलंब।
- (vi) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्षेत्र में अंतिम रूप देने तथा उसके पश्चात परिवर्तनों में विलंब।
- (vii) ले आउट योजना में परिवर्तन।
- (viii) स्पेयर की अनुपलब्धता।

(ग) : भेल विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार तथा संबंधित ग्राहकों के साथ सहमत सूची के अनुरूप और सिविल कार्यों सहित परियोजना स्थल की तैयारी के आधार पर अपने उपस्कर की सुपुर्दगी अनुसूचियों को पुनः प्राथमिकता निर्धारित कर रही है। परियोजना निष्पादन में विलंब को कम करने के लिए स्थल विशेष तकनीकी विकल्प प्रदान करने के लिए भेल अपने ग्राहकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भेल द्वारा निष्पादित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के प्रबोधन के लिए तथा समय पर क्रियान्वयन किए जाने को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजनाओं को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित करने और उनका समाधान करने में मदद करने के लिए विकासकर्ताओं, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ नियमित स्थल दौरों और बातचीत के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के अंतर्गत प्रगति की निगरानी करता है।
- अवरोध वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने और अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मामलों के तीव्र निपटारे को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा बैठकों का आयोजन भी किया जाता है।
- संबद्ध पारेषण प्रणाली के साथ 12वीं योजना की अवधि के दौरान और उसके बाद चालू किए जाने के लिए लक्षित चालू ताप और जल उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है।
- अपेक्षानुसार अनुकूल शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए प्रगति में भी मामलों को उठाया जाता है।

राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2379 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा निष्पादन हेतु लिए गए नई विद्युत परियोजनाएं और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता (मेगावाट में)	राज्य	विकासकर्ता
1	कृष्णापट्टनम न्यू	800	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल
2	विजयवाड़ा न्यू	800	आंध्र प्रदेश	एपीजेनको
3	वनकबोरी	800	गुजरात	जीएसईसीएल
4	नॉर्थ करणपुरा यूनिट#1, 2 एण्ड 3	3x660	झारखण्ड	एनटीपीसी
5	येलहांका सीसीपीपी	370	कर्नाटक	केपीसीएल
6	कोराडी टीपीएस का आरण्डएम:इकाई#6	210	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल
7	आईबी वैली यूनिट#1 एण्ड 2	2x660	ओडिशा	ओपीजीसीएल
8	दर्लीपल्ली:एसजी पैकेज यूनिट#1 एण्ड 2	2x800	ओडिशा	एनटीपीसी
9	राउरकेला	250	ओडिशा	एनएसपीसीएल
10	शाहपुर कंडी एचईपी पावर हाउस-I: यूनिट#1 से 7 (एचईपी)	6x33 + 1x8	पंजाब	पीएसपीसीएल
11	नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट:यूनिट#1 एण्ड 2	2x500	तमिलनाडु	एनएलसी
12	नॉर्थ चेन्नई स्टेज III	800	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ
13	एमईआईएल तूतीकोरिन	525	तमिलनाडु	एमईआईएल
14	उप्पुर - 1 एण्ड 2	2 x 800	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ
15	भद्राद्री (मन्गुरु):यूनिट#1 से 4	4x270	तेलंगाना	टीएसजेनको
16	कोठागुदाम	800	तेलंगाना	टीएसजेनको
17	करीमनगर	2 x 800	तेलंगाना	एनटीपीसी
18	ऊंचाहार टीपीपी:स्टेज-IV	500	उत्तर प्रदेश	एनबीपीपीएल
19	व्यासी:यूनिट 1 एण्ड 2 (एचईपी)	2x60	उत्तराखण्ड	यूजेवीएनएल
20	विष्णुगाड पीपलकोटी:यूनिट#1 से 4 (एचईपी)	4x111	उत्तराखण्ड	टीएचडीसी
21	रम्माम स्टेज-III:यूनिट#1, 2 एण्ड 3 (एचईपी)	3x40	पश्चिम बंगाल	एनटीपीसी

एपीईपीडीसीएल	:	ईस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश
एपीजेनको	:	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन
जीएसईसीएल	:	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड
केपीसीएल	:	कर्नाटक पावर कारपोरेशन
एमएसपीजीसीएल	:	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी
ओपीजीसीएल	:	ओडिशा पावर जेनरेशन कारपोरेशन
एनएसपीसीएल	:	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
पीएसपीसीएल	:	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन
एनएलसी	:	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
टीएएनजीईडीसीओ	:	तमिलनाडु जेनरेशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन
एमईआईएल	:	मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
टीएसजीईएनसीओ	:	तेलंगाना पावर जेनरेशन कारपोरेशन
एनबीपीपीएल	:	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
यूजेवीएनएल	:	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2380

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

बिजली की मांग और आपूर्ति

2380. श्री लाल सिंह वडोदिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार कितने मेगावाट बिजली की आवश्यकता है;

(ख) हमारे देश में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या देशवासियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-17 (अप्रैल, 2016 से जून, 2016) के दौरान देश में मेगावाट (एमडब्ल्यू) में बिजली की व्यस्ततम मांग 1,52,974 मेगावाट थी और व्यस्ततम पूर्ति (देश में मेगावाट के संबंध में उत्पादित विद्युत की मात्रा) 1,49,971 मेगावाट थी।

(ग) और (घ) : नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, दिनांक 30 जून, 2016 तक परंपरागत स्रोतों से लगभग 86,565 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयला आपूर्ति की वृद्धि 2015-16 के दौरान लगभग 6.2% रही है। 03.08.2016 तक की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 30.3 मिलियन टन (एमटी) है, जोकि 21 दिनों के नियामक स्टॉक की तुलना में विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के 22 दिनों के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में, नाजुक कोयला स्टॉक वाला कोई स्टेशन नहीं है।

- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, 89,813 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइनें और 2,66,033 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता 30 जून, 2016 तक पूरी कर ली गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की भागीदारी से सभी के लिए चौबीसों घंटे (24x7) विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने के लिए राज्य विशेष कार्य योजना तैयार करने के लिए पहल शुरू की है।
- (v) भारत सरकार द्वारा उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण और पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों के पृथक्करण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नाम की दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का तेजी से समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडिड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक स्कीम शुरू की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2381

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युतीकृत गांव

2381. श्री के.टी.एस. तुलसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा विगत वर्ष के दौरान सभी श्रेणियों के ऐसे कुल गांवों की संख्या क्या है जिन्हें ग्राम विद्युत अभियंताओं ने 'ई ओ', जिसका अर्थ है विद्युतीकृत नहीं, चिह्नित किया है और जिन्हें 'विद्युतीकृत' दिखाया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

गाँवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा सूचित किए जाते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किए हैं जो गाँवों का दौरा करते हैं और दौरे के दिन की स्थिति रिपोर्ट करते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो राज्यों/डिस्कॉमों को स्थिति सुधारने के लिए आरईसी द्वारा सलाह दी जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2382
जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों का प्रदूषण प्रभाव

2382. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऊर्जा के सभी स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन के मामले में सभी ताप विद्युत संयंत्रों का वार्षिक योगदान कितना है;

(ख) देश के ताप विद्युत संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) हरियाणा में झज्जर विद्युत संयंत्र क्लस्टर तथा छत्तीसगढ़ में कोरबा विद्युत संयंत्र क्लस्टर का क्रमशः पड़ोसी शहरों दिल्ली और रायपुर तथा छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों पर प्रदूषण प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) संबंधित क्षेत्र में ऐसे प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सभी संयंत्रों में संयंत्र-वार मानक और विनियम विहित किए गए थे, यदि नहीं, तो अभी तक उक्त को विहित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2015-16 में ताप विद्युत उत्पादन का योगदान सभी स्रोतों (नवीकरणीय सहित) से कुल उत्पादन का 80.4% था।

(ख) : देश में ताप विद्युत संयंत्रों से वार्षिक उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा महात्मा गांधी एसटीपीपी (झज्जर) और अकलतारा (केएसके महानदी) टीपीपी, कसाईपाली टीपीपी, पथाड़ी (लेंको अमरकंटक) टीपीपी, छत्तीसगढ़ से ओ.पी. जिंदल (तमनार) एसटीपीपी, कोरबा ईस्ट (सीएसपीजीसीओ) टीपीपी, कोरबा वेस्ट (सीएसपीजीसीओ) टीपीपी, डॉ. एस.पी.एम. कोरबा ईस्ट (सीएसपीजीसीएल) टीपीपी, हसदेव, कोरबा वेस्ट (सीएसपीजीसीएल), कोरबा एसटीपीएस (एनटीपीसी), ओ.पी. जिंदल, तमनार, रायगढ़ टीपीपी से प्राप्त एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी टेस्ट के नवीनतम परिणाम (संयंत्र स्थानों पर एयर सैंपल) **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) : ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन कम करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- (i) ताप विद्युत उत्पादन के लिए अधिक दक्ष सुपरक्रिटिकल तकनीकी अपनाना जिसके फलस्वरूप विशिष्ट कोयला खपत कि.ग्रा./केडब्ल्यूएच में कमी होगी तथा जिससे कार्बन डायऑक्साइड की उत्सर्जन में कमी होगी। दिनांक 31.07.2016 की स्थिति के अनुसार सुपरक्रिटिकल तकनीकी पर आधारित 35610 मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है तथा 48,860 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत यूनिटें निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव किया गया है कि 13वीं योजना के दौरान कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि मुख्यतः सुपरक्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से होगी।
- (ii) 31.07.2016 की स्थिति के अनुसार लगभग 4,740.64 मेगावाट क्षमता की पुरानी तथा अदक्ष ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का जीवनकाल पहले ही समाप्त हो गया है।
- (iii) सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट की बड़ी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और जिससे देश के ऊर्जा मिश्र में स्वच्छ, प्रदूषणरहित ऊर्जा का हिस्सा बढ़ेगा।
- (iv) राज्य यूटिलिटीयों/आईपीपी को उनकी पुरानी अदक्ष कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों को सुपरक्रिटिकल यूनिटों से प्रतिस्थापित करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने एलओए/कोयला लिंकेज (पुराने संयंत्रों के लिए स्वीकृत) ने नई प्रस्तावित सुपरक्रिटिकल यूनिटों को स्वतः अंतरण की नीति तैयार की है।
- (v) स्वच्छ विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) में वृद्धि करने के लिए कोयला उपकर 200/- रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 400/- रुपये प्रति कर दिया गया है।
- (vi) निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम की शुरुआत: निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) स्कीम (ताप विद्युत संयंत्रों सहित ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए) वर्ष 2012 से शुरू की गई है। पीएटी स्कीम का पहला चक्र 31.03.2015 को पहले ही पूरा किया जा चुका है। स्कीम ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अनिवार्य विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्य लागू किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप ईंधन खपत तथा उत्सर्जन में कमी आती है।

(ड) : जी हाँ।

राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2382 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2015-16 के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों का वास्तविक राज्य-वार उत्पादन	
राज्य	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)
दिल्ली	6206.1
हरियाणा	22247.14
जम्मू एवं कश्मीर	0
पंजाब	19015.05
राजस्थान	44494.31
उत्तर प्रदेश	106961.85
छत्तीसगढ़	89189.99
गोवा	0
गुजरात	99937.24
मध्य प्रदेश	90870.68
महाराष्ट्र	102154.92
आंध्र प्रदेश	57559.26
कर्नाटक	32401.17
केरल	289.59
पुडुच्चेरी	227.59
तमिलनाडु	66460.8
तेलंगाना	35352.73
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	182.85
बिहार	20827.01
डीवीसी	27853.42
झारखण्ड	15882.43
ओडिशा	52311.46
पश्चिम बंगाल	44921.29
असम	3331.44
मणिपुर	0
त्रिपुरा	5109.38
टिप्पणी: केवल 25 मेगावाट तथा अधिक क्षमता वाले पारंपरिक स्रोतों (ताप, जल एवं नाभिकीय) से उत्पादन	

राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2382 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एम्बिएन्ट एयर क्वालिटी आंकड़ा (सभी $\mu\text{g}/\text{m}^3$ में)

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	मानदंड	PM10	SO2	NOx	PM2.5
		विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा	100	80	80	60
1	झज्जर पावर लिमिटेड (महात्मा गांधी एसटीपीपी)		166	8	28	56
2	केएसके महानदी (अकलतारा टीपीपी)		75	24	28	41
3	कसाईपाली टीपीपी		77	19	31	32
4	लेंको अमरकंटक टीपीपी		55	16	18	27
5	ओ.पी. जिंदल एसटीपीपी (तमनार)		57	9	21	20
6	कोरबा ईस्ट		231	17	29	62
7	डॉ. एस.पी.एम. टीपीएस		107	27	36	31
8	हसदेव टीपीएस		342	6	11	79
9	कोरबा एसटीपीएस		71	13	15	50
10	ओ.पी. जिंदल एसटीपीपी (रायगढ़)		57	9	21	20
11	सीपत एसटीपीपी		64	22	25	32

प्रयुक्त संक्षिप्तियां:

PM10 --- सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम)

SO2 --- सल्फर डायऑक्साइड

NOx --- नाइट्रोजन डायऑक्साइड

PM2.5 --- रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर (आरपीएम)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2383

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

पीजीसीआईएल तथा एनटीपीसी द्वारा जारी विज्ञापन

2383. सरदार बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाँवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) तथा एनटीपीसी लिमिटेड के अनौपचारिक प्रकाशन तथा विवरणिका तथा स्मारिका के लिए विज्ञापन जारी करने की क्या नीति है;

(ख) क्या पीजीसीआईएल ने हाल में 'अल्पना' नामक विवरणिका में छह लाख रुपये मात्र के मूल्य का एक पृष्ठ का विज्ञापन जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो इतनी बड़ी धनराशि का विज्ञापन जारी करने के कारण तथा ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इतनी बड़ी धनराशि इस तरह की अनौपचारिक विवरणिका पर बर्बाद करने के मामले को किसी जांच एजेंसी को सौंपेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) तथा एनटीपीसी लिमिटेड सहित प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा योग्यता, आवश्यकता, कारपोरेट छवि निर्माण, प्रचार, साख, उपभोक्ता पहुंच, घटना का महत्व, बजट की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन जारी किये जाते हैं।

(ख) और (ग) : जी हां। अल्पना सोसायटी आफ रजिस्टार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में एक पंजीकृत सोसायटी है और वर्ष 2003 से कार्यरत है। यह एक स्वैच्छिक संगठन भी है और समग्र विकास तथा संयुक्त वृद्धि के लिए भारतीय शास्त्रीय एवं लोकनृत्य के रूपों में, मानसिक और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रही है। पीजीसीआईएल ने एक जिम्मेवार कारपोरेट नागरिक के रूप में नेक कार्य तथा साथ ही जन सामान्य के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सभा तथा साथ ही साथ दिव्यांग सोसाइटी/वर्ग सहित समाज के प्रख्यात लोगों के बीच इस प्रचार माध्यम के द्वारा कंपनी के ब्रांड के लिए वर्ष 2015 में वित्तीय सहायता दी है।

(घ) : इस मामले को जांच एजेंसी को भेजने का कोई कारण नहीं है क्योंकि इस मामले में, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उनकी कारपोरेट नीति के अनुसार विज्ञापन जारी किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2384

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

जल की कमी के कारण विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाना

2384. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पानी की अनुपलब्धता के कारण देश के कई विद्युत संयंत्रों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंद पड़े विद्युत संयंत्रों को फिर से चालू करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2385

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों में विद्युत की कमी

2385. श्री शमशेर सिंह डुलो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक राज्यों में दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बसावटों में अभी भी बिजली की कमी है;

(ख) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति गांवों के विद्युतीकरण की कौन-कौन सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इस उद्देश्यार्थ कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) इन योजनाओं से कितने गांवों को लाभ हुआ है और शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बसावटों के साथ-साथ सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा उन विद्युत संयंत्रों से विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है। इस स्कीम के अंतर्गत सुदूर गांवों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों सहित सभी गांवों को विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जा सकता है और जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं है, उनको डीडीयूजीजेवाई की ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी/विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जा सकता है।

(ग) और (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गांव गैर-विद्युतीकृत गांव हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत निधियों का अपफ्रंट आवंटन नहीं होता है। निधियां, स्वीकृत परियोजनाओं को पिछली किस्त(तों) की राशि के सूचित उपयोग और अन्य शर्तों को पूरा

करने के आधार पर किस्तों में, जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई पूंजीगत सब्सिडी निम्नानुसार हैं:

वर्ष	जारी की गई पूंजीगत सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)
2013-14	2,402.34
2014-15	3,609.25
2015-16	4,604.98

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2386

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

जीएआरवी एप्प पर ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़े

2386. प्रो. एम.वी. राजीव गौडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी आंकड़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है क्योंकि जीएआरवी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों में विद्युतीकृत तथा अविद्युतीकृत दोनों तरह के गांवों को 7000 विद्युतीकृत गांवों (18,792 अविद्युतीकृत गांवों में से) में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 7000 विद्युतीकृत गांवों में से 3604 गांवों को सर्वेक्षण में विद्युतीकृत पाए गए गांव के अंतर्गत दिखाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च) : जी नहीं। गाँवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा सूचित किए जाते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालनीकरण के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) तैनात किए हैं जो गाँवों का दौरा करते हैं और दौरे के दिन की स्थिति रिपोर्ट करते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो राज्यों/डिस्कॉमों को स्थिति सुधारने के लिए आरईसी द्वारा सलाह दी जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2387

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को ऋण

2387. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सुलभ ऋण प्रदान करने की योजना बना रही है ताकि स्थानीय वितरण कंपनियों की वित्तीय समस्याओं के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को कोई बाधा न पहुंचे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को इस प्रणाली के माध्यम से कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई है तथा इस योजना के लिए क्या तौर-तरीके अपनाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं। सरकार राज्यों को सुलभ ऋण प्रदान करने की कोई योजना नहीं बना रही है। तथापि, भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2388

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना और विकसित करना

2388. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने एवं उनका विकास करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपना अनुमोदन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में राज्यों से किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी यदि वह ग्रिड की कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस/अनुमति लिए बिना उत्पादन केंद्र स्थापित कर सकती है, उसका प्रचालन एवं अनुरक्षण कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की संस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2016) 12 जल विद्युत परियोजनाओं (स्कीमों) की डीपीआर सहमति/अनुमोदन के लिए सीईए में प्राप्त हुई हैं, इन पर की गई कार्रवाई सहित इन स्कीमों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार के साथ किसी समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होता है और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है।

राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2388 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत योजनाओं का ब्यौरा (अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2016 तक)

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186	मई-13	सहमति
2	हीयो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240	जुलाई-13	सहमति
3	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	180	नवंबर-13	सहमति
4	कंगटांग सिरि	अरुणाचल प्रदेश	निजी	80	मई-13	परियोजना विकासकर्ता को वापस किया गया
5	सवालकोट	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	1856	जनवरी-14	डीपीआर सीईए में
6	क्वार	जम्मू एवं कश्मीर	संयुक्त उद्यम	540	मई-14	डीपीआर सीईए में
7	कीर्थाई-II	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	930	अप्रैल-16	डीपीआर सीईए में
8	सुबानसिरि मध्य (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1800	अक्तूबर-13	डीपीआर सीईए में
9	अट्टुन्ली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	680	अक्तूबर-14	डीपीआर सीईए में
10	मगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	96	मार्च-16	डीपीआर सीईए में
11	लोकटक डी/एस	मणिपुर	केंद्र	66	मार्च-15	डीपीआर सीईए में
12	तुर्गा पीएसए	पश्चिम बंगाल	राज्य	1000	दिसंबर-15	डीपीआर सीईए में

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2389

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की दरों में वृद्धि

2389. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्युत की दरों में लगातार होने वाली वृद्धि से कृषि क्षेत्र और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वितरण कंपनियों का प्रशुल्क, विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के आधार पर वर्णित सिद्धांतों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के प्रत्यक्ष विनियमन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 तथा प्रशुल्क नीति के खण्ड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक सब्सिडी दे सकती हैं जिस सीमा तक वे इसे उचित समझें।

(ख) से (घ) : उपयुक्त नीति फ्रेमवर्क और कार्यक्रमों के माध्यम से, सरकार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएण्डसी) को कम करने की दृष्टि से वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण को समर्थन देने के साथ-साथ उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवसाय में दक्षता को प्रोत्साहन दे रही है। प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रशुल्क निर्धारित करने पर सरकार द्वारा दिए जा रहे बल के साथ-साथ इन उपायों से प्रशुल्क दरों को कम करने में सहायता मिलती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2390

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

निचला सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण

2390. श्री सन्तियुस कुजूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एनएचपीसी की निचला सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) असम और सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्युत संकट को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या विशिष्ट नए कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि भूटान और अरुणाचल प्रदेश विद्युत उत्पादन संबंधी अपनी अनेक जल-विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित कर दे तो असम की स्थिति क्या होगी; और

(ङ) इस तरह की परियोजनाओं से प्रभावित असम के निचले क्षेत्रों के लोगों के जान-माल और पशुधन की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई/परियोजना कार्य शुरू किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। यह सत्य है कि अरुणाचल प्रदेश/असम में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में विलंब हो गया है। यह परियोजना आरंभ में सितंबर, 2010 तक पूरी की जानी निर्धारित थी। तथापि, वन भूमि के हस्तांतरण में विलंब, स्थानीय लोगों द्वारा कार्य को रोके जाने, तकनीकी विफलताओं आदि जैसे विभिन्न अवरोधों के कारण इसमें विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, सुबानसिरी परियोजना के विरुद्ध दिसंबर, 2013 में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), कोलकाता के समक्ष एक मामला दाखिल किया गया है। माननीय एनजीटी, कोलकाता ने अपने दिसंबर, 2015 के आदेश के तहत निदेश दिया है कि जनता की रक्षा एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आपातकालीन अनुरक्षण कार्यों के सिवाय परियोजना में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। इस परियोजना का पूरा किया जाना अन्य बाधाओं का समाधान करने के अतिरिक्त, माननीय एनजीटी, कोलकाता से स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

(ग) : वर्तमान में, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनइरआर) में कुल 5480 मेगावाट की 15 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) तथा कुल 625.5 मेगावाट वाली 3 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। चालू होने पर, ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य भागों में विद्युत संकट से निपटने में मदद करेंगी।

(घ) : जल परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएमएसआरएस), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भूकम्प संबंधी डिजाइन पैरामीटरों को नेशनल कमेटी ऑन सीसमिक डिजाइन पैरामीटर्स (एनसीएसडीपी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसमें इंडिया मैटलाजिकल डिपार्टमेंट (आईएसजी), सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की (आईआईटीआर) के विशेषज्ञ होते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संचयी बेसिन अध्ययन भी करता है और तदनुसार परियोजनाओं की सिफारिश करता है। अतः परियोजना सुरक्षा के सभी पहलुओं का सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन किया जाता है।

(ङ) : सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना द्वारा प्रभावित असम के लोगों के जीवन, पशुओं तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, एनएचपीसी निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव करता है:

- नदी के किनारे के भूक्षरण को रोकने के लिए बांध के 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए किनारे के सुरक्षा कार्य।
- नीचे के प्रवाह के क्षेत्रों में बाढ़ को कम करने के लिए बाढ़ की भविष्यवाणी और बाढ़ की चेतावनी प्रणालियों की स्थापना।
- एक स्वतंत्र जलाशय विनियम समिति का गठन किया जाएगा जिसमें केंद्रीय जल आयोग, असम सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार और ब्रह्मपुत्र बोर्ड से पेशेवर सदस्य होंगे।
- सामाजिक जागरूकता और जन जागरूकता कार्यक्रम।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2391

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2391. श्रीमती झरना दास बैद्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनटीपीसी में विभिन्न पदों पर भर्ती आरक्षण नियमों के अनुसार की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो एनटीपीसी में विद्यमान सभी प्रकार के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 29.07.2016 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड में 3376 अनुसूचित जाति और 1410 अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) : एनटीपीसी में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पद पर भर्ती के लिए आरक्षण की कुछ प्रतिशतता अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2392
जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

2392. श्री पी.एल. पुनिया:

श्री वायालार रवि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन तथा खपत कितनी-कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वैश्विक दर से बहुत कम है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में 300 करोड़ लोग बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यदि हां, तो किन-किन कारणों से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2016-17 में कितने राज्यों में विद्युत ज्यादा रहने का अनुमान है तथा उन राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत की आपूर्ति कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत 5 वर्षों के लिए देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रति व्यक्ति खपत केडब्ल्यूएच में
2011-12	884
2012-13	914
2013-14	957
2014-15	1010
2015-16	1075

(ख) : जी हाँ। भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वैश्विक औसत से कम है। आईईए वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत और वैश्विक औसत निम्नानुसार है:

वर्ष	भारत की प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)	वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)*
2011-12	884	2972
2012-13	914	3026

* भारत को छोड़कर मूल आंकड़े आईईए वेबसाइट से प्राप्त किए गए। वैश्विक औसत के आंकड़े जनवरी से दिसंबर तक के हैं।

(ग) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 24,67,40,228 घरों में से 16,59,35,192 घर प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग कर रहे थे।

(घ) : वर्ष 2016-17 की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार 14 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2016-17 में अधिशेष विद्युत होने की संभावना है। वर्ष 2016-17 के दौरान अधिशेष विद्युत और विद्युत की उनकी प्रति व्यक्ति अनुमानित आपूर्ति (सकल) के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2392 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2016-17 के दौरान अधिशेष विद्युत और उनके विद्युत की प्रति व्यक्ति अनुमानित विद्युत आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य / क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष (+)/ कमी (-)	विद्युत की प्रति व्यक्ति आपूर्ति ** (सकल)
	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(केडब्ल्यूएच)
दिल्ली	31,110	36,884	18.6	1602
हरियाणा	49,800	51,069	2.5	1990
हिमाचल प्रदेश	9,209	9,504	3.2	1354
छत्तीसगढ़	27,176	28,722	5.7	2136
गुजरात	104,845	109,225	4.2	2354
मध्य प्रदेश	74,199	83,052	11.9	1021
महाराष्ट्र	154,169	165,502	7.4	1366
दमन एवं दीव	2,372	2,423	2.2	7981
दादरा एवं नागर हवेली	5,615	5,737	2.2	15261
कर्नाटक	69,781	73,021	4.6	1315
केरल	24,179	25,274	4.5	737
तमिलनाडु	103,806	115,455	11.2	1799
पुडुच्चेरी	2,554	2,890	13.1	1731
ओडिशा	29,805	30,464	2.2	1645
सिक्किम	423	954	125.3	722
मिजोरम	533	589	10.6	540
त्रिपुरा	1,453	2,526	73.9	457

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2393

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन पर कोयले की गुणवत्ता का प्रभाव

2393. श्री पी.एल. पुनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत कम्पनियों में आने वाला देसी कोयला अच्छी किस्म का नहीं होने के कारण विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है यदि हां, तो प्रति यूनिट उत्पादन पर कितनी राशि व्यय हो रही है तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत दो वर्षों में विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा कुल कितना देसी तथा कितना आयातित कोयले का उपयोग किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा घरेलू कोयले के उपयोग के कारण देश में विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। सभी विद्युत स्टेशनों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष को सैंपलिंग की गई है। दिनांक 03.08.2016 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक 30.3 मिलियन टन (एमटी) है जो 21 दिन के निर्धारित स्टॉक की तुलना में 22 दिनों के लिए विद्युत संयंत्रों का प्रचालन करने हेतु पर्याप्त है। वर्तमान में, कम कोयले के स्टॉक वाला कोई विद्युत स्टेशन नहीं है।

उत्पादन की लागत मुख्यतः कोयले के उतराई मूल्य पर निर्भर करती है। इसलिए, विद्युत के प्रति यूनिट उत्पादन के लिए हुआ व्यय कोयले की गुणवत्ता तथा परिवहन लागत के अनुसार भी भिन्न-भिन्न होगी।

विगत दो वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रेषित/प्राप्त घरेलू कोयले तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा आयातित कोयले की मात्रा इस प्रकार है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	घरेलू कोयला	आयातित कोयला
2014-15	463.1	91.2
2015-16	493.8	80.6
2016-17 (अप्रैल, 16 से जून, 16)	124.1	18.2

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2394

जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत का उत्पादन और कमी

2394. श्री ए.के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-2014 की दस वर्ष की अवधि में विद्युत उत्पादन में 5.65 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष के दौरान अब तक 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल दो वर्षों में विद्युत की कमी में 87 प्रतिशत की गिरावट हुई है और यह पहले के 110 मिलियन यूनिट से घटकर 14 मिलियन यूनिट रह गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन में 5.65% की वृद्धि की तुलना में चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल से मई, 2016) के दौरान 9.42% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 से वर्ष-वार वृद्धि अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जुलाई, 2015 और जुलाई, 2014 के साथ-साथ जुलाई, 2016 के दौरान देश में ऊर्जा की कमी नीचे दी गई है:

वर्ष	औसत ऊर्जा कमी (मिलियन यूनिट(एमयू)/दिन)
जुलाई, 2014	110.7
जुलाई, 2015	61.8
जुलाई, 2016	14.1

औसत ऊर्जा कमी जुलाई, 2014 में 110.7 एमयू/दिन से जुलाई, 2016 में घटकर 14.1 एमयू/दिन हो गई है। इस प्रकार ऊर्जा कमी में 87.3% की कमी हुई है।

राज्य सभा में दिनांक 08.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2394 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में वर्ष 2004-05 से वर्ष-वार विद्युत उत्पादन में वृद्धि निम्नानुसार हैं:

वर्ष	उत्पादन (बीयू)	% वृद्धि
2004-05	587.416	5.65
2005-06	617.510	
2006-07	662.523	
2007-08	704.469	
2008-09	723.794	
2009-10	771.551	
2010-11	811.143	
2011-12	876.887	
2012-13	912.057	
2013-14	967.150	
2014-15	1048.673	8.4
2015-16	1107.822	5.6
2016-17 (अप्रैल से जून, 2016)	296.481	9.42

टिप्पणी: केवल परंपरागत स्रोतों (अर्थात् जल विद्युत, ताप विद्युत और नाभिकीय विद्युत) से 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाली संयंत्रों से उत्पादन।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2395
जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन के लिए सहायता

2395. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश में विद्युत उत्पादन के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न विद्युत बोर्डों को हुई हानि को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का बोर्ड-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्य है और कोई भी उत्पादन कंपनी उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। उत्पादन परियोजना (परियोजनाएं) स्थापित करने के लिए निधि की व्यवस्था परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की जाती है।

(ख) : राज्य स्वामित्व वाले डिस्कामों के प्रचालन एवं वित्तीय दक्षता को सुधारने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) के प्रचालन एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेस योजना (उदय) नामक एक स्कीम दिनांक 20.11.2015 को अधिसूचित की गई थी। भागीदार राज्य स्कीम में दर्शाए गए उपायों से डिस्कामों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्नअराउण्ड को हासिल करेंगे। उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति देने हेतु कृषि फीडरों के पृथक्करण तथा लाइन की हानियों को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई स्कीमें भी शुरू की गई हैं। ये डिस्काम को वित्तीय रूप से भी सुदृढ करेंगी।
